



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि., चम्बा टिहरी गढवाल।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D.
CHAMBA (TEHRI GARHWAL) PIN- 249 145

Website-http://pwd.uk.gov.in

I.D.-eicpwduk@nic.in

E-Mail- eepwdchamba@rediffmail.com

पत्रांक:- 2086 / 13 एम0जी0

दिनांक 27/12/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।

विषय:- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ज्ञानसू-ग्वाड-पस्सी-बुडोगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं. 8बी0/यू0सी0पी0/06/286 /2015/ एफ0सी0/1948 दिनांक 20.02.2018 एवं आपका पत्रांक 1562/12-1 नई टिहरी, दिनांक 16.03.2018, पत्रांक 217/12-1 (2) नई टिहरी, दिनांक 28.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अनुपालन किया गया है :-

1- बिन्दु संख्या 01 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दोगुना 4.20 है0 ग्राम ग्वाड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) देय धनराशि ₹11,70,393.00 (एग्यारह लाख, सत्तर हजार तीन सौ तिरानबें मात्र) जमा कर दी गयी है।

संलग्न :- Online Payment history made by user agency chamba

2- बिन्दु संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित देय धनराशि ₹17,74,500.00 (एसत्रह लाख, चौहत्तर हजार पांच सौ मात्र) जमा कर दी गयी है।

संलग्न :- Online Payment history made by user agency chamba

3- बिन्दु संख्या 03 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु प्रमाण-पत्र संलग्न है।

संलग्न :- प्रमाण-पत्र

4- बिन्दु संख्या 04 के अनुपालन में जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दोगुना 4.20 है0 ग्राम ग्वाड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) देय धनराशि ₹11,70,393.00 (एग्यारह लाख, सत्तर हजार तीन सौ तिरानबें मात्र) एवं (एन0पी0वी0) की निर्धारित देय धनराशि ₹17,74,500.00 (एसत्रह लाख, चौहत्तर हजार पांच सौ मात्र) कुल ₹29,44,893.00 (एउन्नतीस लाख, चवालिस हजार आठ सौ तिरानबें मात्र) उचित ऑनलाईन बैंक जमा में जमा किये गये चालान की प्रति संलग्न है।

संलग्न :- चालान की प्रति

- 5— बिन्दु संख्या 05 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां—जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों पर विभाग अपने पास उपलब्ध धनराशि से वन विभाग की देख-रेख में Central Verge पर strip plantation करेगा जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
संलग्न :- प्रमाण-पत्र
- 6— बिन्दु संख्या 06 के अनुपालन में FRA certificate along with all annexures in chronological order. online upload किया गया है एवं संलग्न है।
संलग्न :- FRA certificate along with all annexures in chronological order.
- 7— बिन्दु संख्या 07 के अनुपालन में Original Hard copy of Part V to this office आपके स्तर से दिया जाना है।

विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों की अनुपालन आख्या :-

- 1— वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
- 2— एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।
- 3— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 4— प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन कर Forward एवं Back bearing अंकित कर दिया जायेगा।
- 5— प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति कर दी जायेगी।
- 6— परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
- 7— वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
- 8— वन भूमि प्रस्ताव के अनुसार ही कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा।
- 9— सड़क निर्माण के पश्चात जहां—जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों पर विभाग अपने पास उपलब्ध धनराशि से वन विभाग की देख-रेख में Central Verge पर strip plantation करेगा जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 10— परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्य मलवा नहीं फेंका जायेगा।
- 11— यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।
- 12— ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझी जायेगी एवं उनका अनुपालन किया जायेगा।

अतः उक्त परियोजना में आ रही वन भूमि की विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(गौरव अभिलेखी)
अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक 2086 / 13 एम0जी0 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 2— अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी।
- 3— सहायक अभियन्ता चतुर्थ, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date: 07-09-2018

Agency Name	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6189110470
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/286/2015/FC
Location	UTTARANCHAL
Address	Yamuna Colony Dehradun/Dehradun
Amount(in Rs)	2944893/-

Amount in Words: Twenty-Nine Lakh Forty-Four Thousand Eight Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896189110470
	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date: 07-09-2018

Agency Name	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6189110470
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/286/2015/FC
Location	UTTARANCHAL
Address	Yamuna Colony Dehradun/Dehradun
Amount(in Rs)	2944893/-

Amount in Words: Twenty-Nine Lakh Forty-Four Thousand Eight Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896189110470
	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

518250934714

-1 SEP 2018

पाठक - 1607/11 क. सी.

दिनांक 13-09-18

प्रतिनिधि सहायक उच्चिष्ठता चतुर्थ को समस्त कार्यवाही

हस्त लिखित

Gave
11/09/18

सहायक उच्चिष्ठता (चतुर्थ IV)
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
चम्बा (दि० ग०)

Help

Online payment history made by User Agency under CAMPA

no.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
-----	-----------------	----------------	----------------------	----------------------	--	----------------	----------------	---------------

EP/UK/ROAD/8911/2014	ROAD201122016694	6120117694	06 Jul 2018	CA: 1001000/-	Addl CA: 0/-		Fund Demand Verified by	Demand Letter
----------------------	------------------	------------	-------------	---------------	--------------	--	-------------------------	---------------



PARIVESH
“Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub”

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▶ My Proposals Environment Clearance ▶ My Proposals Forest Clearance ▶ My Proposals Wildlife Clearance ▶ Help ▶

1:35:06 PM



Construction of Gurnogi (Jdaykoi) - Gwalgaon Motor Road	ROAD89112014470	6189110470	20 Feb 2018	Safety Zone: NPV: 414050/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1371050/-	Addl PA : ten times tree plantation : 957000/-	Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Sep 2018 Transaction Date : 15 Sep 2018	Generated Challan
EP/UK/ROAD/8911/2014	ROAD89112014470	6189110470	20 Feb 2018	CA: 1170393/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 174500/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2944893/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Fund Demand Verified by : 28 Aug 2018 Modal Officer On : Corporation Bank Bank Name : NEFT/RTGS (Challan) Mode of Payment : 07 Sep 2018 Challan Generated On : 07 Sep 2018 Transaction Date : 07 Sep 2018	Demand Letter Generated Challan

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: *GN*
Stamp: **RECEIVED (Part IV)**
फाइल नुमाई (Part IV)
अर्द्ध (Part IV)

नामाल ७० बा० २६ खताना ग्राम स्टांड पकी सारज्यला तदसोल बिहार जिला हि ७३७

जसली वर्ष १५११ से १५२६ जसली तक

[illegible]

Page

15

::आदेशः::

वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र संख्या:08बी/यू0सी0पी0/06/286/2015/एफ0सी0/1498 दिनांक:20/02/2018 की शर्त संख्या:1, के अनुपालन में एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून के पत्र संख्या: 2933 देहरादून दिनांक: 22 फरवरी 2018 के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रान्तर्गत ज्ञानसू-ग्वाड़-परसी-बुडोगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1 हे० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि० विभाग चम्बा को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.20 हे० सिविल भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी टिहरी के पत्र संख्या: 309/20 वग० (भूमि०ह०)-2018 दिनांक:11 सितम्बर 2018 के द्वारा भूमि प्रस्तावित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

ग्राम	पट्टी	खाता सं०	खसरा सं०	यादित रक्वा(हे०मे)	भूमि की क्रिम
1	2		3	4	5
ग्वाड़	सारजूला	14	01 56 120	3.152 0.836म० 0.212म०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. बंजर भूमि
				योग-4.20हे०	

प्रस्तावित ज्ञानसू-ग्वाड़-परसी-बुडोगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या:2882/XXIII(II)/11-18 (120)/2010 दिनांक: 11 नवम्बर 2011, एवं शासनादेश संख्या: 2365/XXIII(II)/13-18 (120)/2010 टी०सी० दिनांक: 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है।

अतएव शासनादेश संख्या:2173/XXIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग दिनांक: 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी टिहरी के द्वारा प्रस्तावित की गयी कुल रक्वा-4.20 हे० सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार टिहरी उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या: 373/XXVI-38(2017-2018) दिनांक नई टिहरी सितम्बर 20, 2018

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:-सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2:-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद देहरादून।
- 3:-आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4:-नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5:-प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी।
- 6:-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि० विभाग चम्बा, टिहरी गढ़वाल।
- 7:-उप जिलाधिकारी टिहरी।
- 8:-तहसीलदार टिहरी।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

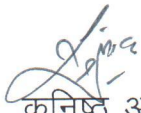
Attested
सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि० वि०
चम्बा

21/9/18 *19th*
22/9/18

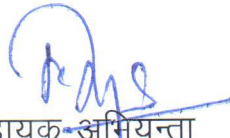
परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में ज्ञानसू ग्वाड पस्सी बुडोगी मोटर
मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 5.250 कि०मी०)

एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होने की दशा में बढ़ी हुई धनराशि जमा किये जाने का प्रमाण-पत्र

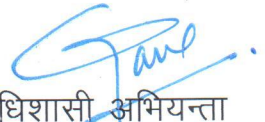
प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या 03 में निहित शर्तों के अनुपालन में यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दरों से अतिरिक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
नि० खण्ड, लो० नि० वि०
चम्बा



सहायक अभियन्ता
नि० खण्ड, लो० नि० वि०
चम्बा



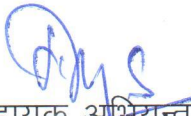
अधिशाली अभियन्ता
नि० खण्ड, लो० नि० वि०
चम्बा

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में ज्ञानसू ग्वाड पस्सी बुडोगी मोटर
मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 5.250 कि०मी०)

सड़क के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों तथा Central Verge पर Strip Plantation करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या 5 में निहित शर्तों के अनुपालन में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहां सम्भव हो सड़क के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों Central Verge पर अपने व्यय से वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करवा दिया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
नि० खण्ड, लो० नि० वि०
चम्बा


सहायक अभियन्ता
नि० खण्ड, लो० नि० वि०
चम्बा


अधिशाली अभियन्ता
नि० खण्ड, लो० नि० वि०
चम्बा

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल विधान सभा टिहरी राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चम्बा में ज्ञान्सू - ग्वाड - पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 5.250 कि० मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

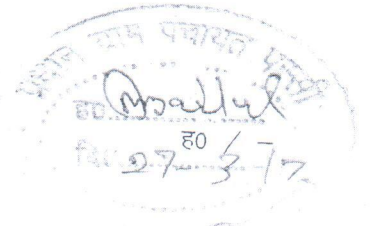
ग्राम पंचायत :- पस्सी

तहसील टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चम्बा में ज्ञान्सू ग्वाड पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 5.250 कि० मी० परियोजना के निर्माण हेतु (4.20 है० सिविल सोयम भूमि) अर्थात् कुल 4.20 है० सिविल सोयम भूमि लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पस्सी द्वारा दिनांक 27.3.17 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित सिविल सोयम भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित सिविल सोयम भूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है। अथवा नहीं। आम सभा में उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त सिविल सोयम भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के पराम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत बुडोगी के ग्राम वासियों को उक्त सिविल सोयम भूमि लोक निर्माण विभाग चम्बा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

सहायक अभियन्ता (चतुर्थ IV)
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
चम्बा (टि० ग०)

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल विधान सभा टिहरी राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चम्बा में झान्सू - ग्वाड - पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 5.250 कि० मी०।

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत :- पस्सी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Vikram Singh	
2	राजेश्वर सिंह	
3	राजेश्वर सिंह	
4	राजेश्वर सिंह	
5	राजेश्वर सिंह	
6	राजेश्वर सिंह	
7	राजेश्वर सिंह	
8	राजेश्वर सिंह	
9	राजेश्वर सिंह	
10	राजेश्वर सिंह	
11	राजेश्वर सिंह	
12	राजेश्वर सिंह	
13	राजेश्वर सिंह	
14	राजेश्वर सिंह	
15	राजेश्वर सिंह	
16	राजेश्वर सिंह	
17	राजेश्वर सिंह	
18	राजेश्वर सिंह	
19	राजेश्वर सिंह	
20	राजेश्वर सिंह	

सहायक अभियन्ता (चतुर्थ IV)
निर्माण खण्ड 40 नि० वि०
चम्बा (दि० २०)

ग्राम प्रधान
दि० 27-3-17
हो. 1/-

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल विधान सभा टिहरी राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चम्बा में ज्ञान्सू - ग्वाड - पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 5.250 कि० मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत :- कोटी (बालमा)

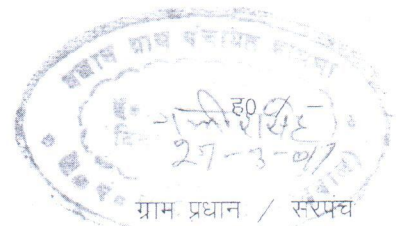
तहसील टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चम्बा में ज्ञान्सू ग्वाड पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 5.250 कि० मी० परियोजना के निर्माण हेतु (4.20 है० सिविल सोयम भूमि) अर्थात् कुल 4.20 है० सिविल सोयम भूमि लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटी (बालमा) द्वारा दिनांक 27.3.17 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित सिविल सोयम भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित सिविल सोयम भूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है। अथवा नहीं। आम सभा में उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त सिविल सोयम भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के पराम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत बुडोगी के ग्राम वासियों को उक्त सिविल सोयम भूमि लोक निर्माण विभाग चम्बा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

सहायक अभियंता (प्रतुर्थ IV)
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
चम्बा (दि० ग०)

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल विधान सभा टिहरी राज्य योजना के अन्तर्गत विकास
खण्ड चम्बा में ज्ञान्सू - ग्वाड - पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण
कार्य लम्बाई 5.250 कि० मी०।

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत :- कोटी (बालमा)

क्रमांक	ग्राम सुभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सावित्री देवी	सावित्री देवी
2	हरीश चंद	हरीश चंद
3	राजवर्मा सिंह	राजवर्मा सिंह
4	गंगाधर सिंह	गंगाधर सिंह
5	नरेश चंद	नरेश चंद
6	मनोहर सिंह	मनोहर सिंह
7	अशोक सिंह	अशोक सिंह
8	गुणगो	गुणगो
9	विजय सिंह	विजय सिंह
10	उज्ज्वला देवी	उज्ज्वला देवी
11	अमन देवी	अमन देवी
12	पूज्य देवी	पूज्य देवी
13	अमन सिंह	अमन सिंह
14	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
15	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
16	धूम सिंह	धूम सिंह
17	विजय सिंह	विजय सिंह
18	पूज्य सिंह	पूज्य सिंह

सहायक अभियंता (चतुर्थ IV)
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
चम्बा (टि० ग०)



**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHNAD)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S District collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Thauldhar Block area measuring **2.10 Hectare** for the construction of **Gyansu Gwad Passi Budogi Motor road 5.250 km** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Thauldhar sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion no objects /claims were found to have been made and hence district level Committee recommended the above case for division for land for the said purpose.

Place:- Tehri

Date:-


(युगल किशोर पन्त)
District Collector cum Chairman
District Tehri Garhwal
टिहरी गढ़वाल



It is further certified that minutes of meeting of Gyansu Gwad Passi Budogi motor road length 5.250 km regarding FRA is following

S.N.		REMARKS
a	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>2.10</u> hectares Of forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest right committee(s), gram sabha (s) , sub division level committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule types and other traditional forest dwellers.
b	The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed as the gram sabha have given their consent to it	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule types and other traditional forest dwellers. No objection certificates of concerned villages regarding construction aforesaid motor road is attached
c	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural communities	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule types and other traditional forest dwellers.

Kusum
(कुसुम राणा)
सदस्य
जिला पंचायत हाई-9 (जोखरी)
बिहरी-बोखार (दिंगो)

सदस्य जिला पंचायत
बिहरी गढ़वाल

Rajendra
जिला समाज कल्याण अधिकारी
बिहरी गढ़वाल

h
प्रभारी वन अधिकारी
बिहरी गढ़वाल

रेखा कुंजर
रेखा कुंजर
सदस्य जिला पंचायत
बिहरी गढ़वाल

[Signature]
सहायक अभियंता (युवक IV)
निर्माण खण्ड सी० नि० वि०
चम्पा (दिंगो)

[Signature]
जिलाधिकारी
Signature
बिहरी गढ़वाल
(Full name and official seal of the District Collector)
(Yugal Kishor Pant)

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम/पंचायत द्वारा आपत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड टिहरी परिक्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान्सू ग्वाड परसी बुडोगी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.10 है0 वन भूमि-लो0नि0वि0 एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर हस्तान्तरित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

सहायक सजाज कार्यवाह अधिकारी
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० (टि० ग०)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीचौरी उप वन परगना

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
टिहरी, दि० १०/०५/२०१०

तहसील टिहरी टिहरी गढवाल

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- विजा सिंह शर्मा

2- दशरथ सिंह

3- राधेश चोहरा

4- प्रेमचंद चौधरी

5- रामाजी सिंह

6- रामचंद्र सिंह

7- श्रीम प्रकाश

8- रघुवीर सिंह चौहान

9- केशव चोहरा

10- मनोहर सिंह चौहान

11- जगदीश सिंह चौहान

12- कुलवीर सिंह

रानीचौरी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

सहायक अभियंता (चतुर्थ IV)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गढ़वाल (दि० ००)

14- सखल सिंह - Dech

15- पारा देवी - पारा देवी -

16- सरिल देवी - सरिल देवी

17- अग्रिता देवी - अग्रिता देवी

18- पार्वती देवी - पार्वती देवी

19- बैशाखा सिंह - बैशाखा सिंह

20- जेफ सिंह - जेफ

21- चन्द्रा सिंह - Chandra

22- राजेश सिंह - राजेश

23- जेफ सिंह - Jeef

24- जेफ सिंह - Jeef

25- जीनू - Jeenu

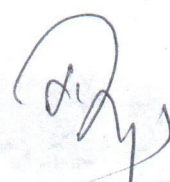
26- सिनेटपास - सिनेटपास

27- रमेशाबाई - रमेशाबाई

28- जेफ सिंह - जेफ सिंह

29- जेफ सिंह - Jeef

30- जेफ सिंह - जेफ सिंह


सहायक उपायुक्त (चतुर्थ IV)
निर्माण खण्ड, नि.वि.०
चम्बा (दि.००)

FORM - 1
(For linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 150

Dated 11/12/14

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and complete the process of settlement of rights under the schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (recognition of forest Rights) Act, 2006 (TRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified **2.10** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Constructuin Division Public Works Department Chamba Tehri Garhwal for construction of Gyansu - Gwar- Passi - Budogi M.R. 5.250 K.M.** (purpose for diversion of forest land) in Tehri district falls within jurisdiction of Gwar, Passi, Koti village(s) in Tehri Tehsils Tehri Garhwal.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.10** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to annexure...
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिलाधिकारी

Tehri Garhwal
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

कार्यालय उपजिलाधिकारी टिहरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006
के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति
टिहरी ।

उपखण्ड टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ज्ञान्सू ग्वाड परसी बुडोगी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 2.10 है० का वन विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील टिहरी की दिनांक 14/11/14) को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आश्विनी चन्द्र उप जिलाधिकारी अध्यक्ष एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री आश्विनी चन्द्र उपजिलाधिकारी टिहरी - अध्यक्ष
- 2- उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी - सदस्य।
- 3- सहायक समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी - सदस्य।
- 4- श्री गम्भीर सिंह नेगी ग्राम प्रधान कोटी, - सदस्य।
- 5- श्री त्रेपन सिंह चौहान ग्राम प्रधान बुडोगी एवं ग्वाड - सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि ज्ञान्सू ग्वाड परसी बुडोगी मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना हेतु 2.10 है० वनभूमि वन विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सबन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

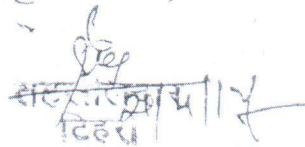
इतैश चौहान (क्षेत्र पंचायत शास्त्र-बुडोगी)

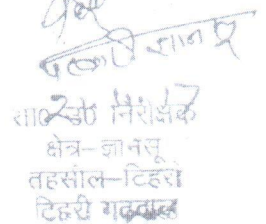
सहायक अभियन्ता (सर्व IV)
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
चम्पा (टि० ग०)

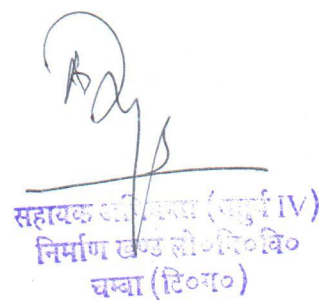
पाद ज्ञान लिखित नामा १९६६ ग्राम उपाड (श्री कृष्णदेव
 गाव) परी सरचूला तहसील विष्टे जिला विष्टे गढ़वाल
 राजस्व डिवीजन में ग्राम उपाड के नाम से है। जो ग्राम
 पंचायत कुदोली में सम्मिलित है। उक्त दोनों ग्राम ग्राम पंचायत
 कुदोली के नाम से जाने जाते हैं। ग्राम उपाड अनुसूचित
 जाति वास्तु ग्राम है। तथा सड़क से पूर्ण रूप से वंचित
 ग्राम है।

अतः ग्राम पंचायत कुदोली राजस्व ग्राम उपाड को
 सड़क मार्ग से जोड़ा जाना अनिवार्य है।
दिनांक-२१.५.१७

प्रतिहस्ताक्षर


 सहायक निर्माण अधिकारी
 विष्टे


 जिला अभियंता
 सा. २०० निराकरण
 क्षेत्र-जानसू
 तहसील-विष्टे
 जिला गढ़वाल


 सहायक अभियंता (ग्रुप IV)
 निर्माण एवं सी. वि. वि.
 चम्बा (दि. ००)